राजेश कुमार, भा.प्र.से., आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया की अध्यक्षता में दिनांक 16.04.2026 को जिला पदाधिकारियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं से संबंधित योजनाओं, सरकार के महत्वपूर्ण कार्य तथा Flagship Schemes के समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

सर्वप्रथम आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया द्वारा बैठक में उपस्थित जिला पदाधिकारी, अपर समाहर्त्ता तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज का स्वागत किया गया। तत्पश्चात बिहार सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजनाओं (Flagship Schemes) तथा माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं से संबंधित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

समीक्षोपरांत निम्नांकित निदेश दिये गये :-

1. माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रगति यात्रा के दौरान घोषित योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की गई। प्रतिवेदन के अनुसार जिला-वार स्थिति निम्नवत है :-

क्र0	जिला का नाम	प्रगति यात्रा के दौरान उद्घोषित योजनाओं की कुल संख्या	पूर्ण योजनाओं की संख्या	कार्य आरंभ	अभ्युक्ति
1	पूर्णिया	9	1	6	06 योजना का कार्य प्रगति पर है। 01 योजना का कार्य निविदा के प्रक्रिया में है।
2	कटिहार	7	-	3	03 योजना का कार्य प्रगति पर है। शेष योजना का कार्य निविदा की प्रक्रिया में है।
3	अररिया	7	-	5	05 योजना का कार्य प्रगति पर है। 02 योजना का कार्य निविदा के प्रक्रिया में।
4	किशनगंज	7	-	7	07 योजना का कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि कई योजनाओं में अबतक कार्य आरंभ नहीं हुआ है। जिन योजनाओं में कार्य आरंभ नहीं हुआ है, संबंधित जिला पदाधिकारी उसका योजनावार सकारण प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायेंगे। उपरोक्त योजनाओं को निर्धारित Timeline के अनुसार अच्छी गुणवत्ता के साथ कार्यान्वित कराने हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी इसका सतत अनुश्रवण करेंगे। तथा योजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। सरकार के सात निश्चय-3 के तहत सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर जिला पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

2. **Flagship Schemes :-**

समीक्षोपरान्त जिला-वार प्रमुख Flagship योजना की विवरणी निम्नानुसार है :-

क्र0सं0	जिला	प्रमुख Flagship योजना
01	अररिया	01. औद्योगिक क्षेत्र हेतु भूमि अर्जन का प्रस्ताव भूमि सुधार विभाग को भेजना है। 02. गोरखपुर-सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे हेतु भूमि अर्जन। 03. अररिया-कुर्साकांटा-कुआड़ी-सिकटी पथ के चौड़ीकरण।
02	पूर्णिया	01. औद्योगिक क्षेत्र हेतु भूमि अर्जन का प्रस्ताव भूमि सुधार विभाग को भेजना है। 02. पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे हेतु भूमि अर्जन। 03. पूर्णिया एयरपोर्ट/Indian Force Station से संबंधित लंबित मामलों का निष्पादन। 04. पूर्णिया एयरपोर्ट हेतु चार लेन Connectivity Road तथा Aerocity हेतु प्रस्ताव/ भू-अर्जन। 05. काझा कोठी का सौदर्यीकरण एवं Renovation का कार्य।
03	कटिहार	01. औद्योगिक क्षेत्र हेतु भूमि अर्जन का प्रस्ताव भूमि सुधार विभाग को भेजना है। 02. राजेन्द्र स्टेडियम का Renovation का कार्य। 03. कटिहार-बलरामपुर SH का निर्माण। 04. गोरखनाथ धाम का सौदर्यीकरण एवं Renovation का कार्य। 05. गोगाबील झील में सुविधाओं का विकास।

04	किशनगंज	01. औद्योगिक क्षेत्र हेतु भूमि अर्जन का प्रस्ताव भूमि सुधार विभाग को भेजना है। 02. भारत माला परियोजना के अंतर्गत किशनगंज से बहादुरगंज तक फोर लेन सड़क का निर्माण। 03. गोरखपुर-सिल्लीगुड़ी तक एक्सप्रेसवे का निर्माण। 04. पोठिया प्रखंड में जीविका चाय फैक्ट्री (महानंदा टी फैक्ट्री) का संचालन।

a. केन्द्र सरकार एवं बिहार सरकार की अतिमहत्वाकांक्षी योजनाओं (Flagship Schemes) का संबंधित जिला पदाधिकारी सतत् अनुश्रवण करेंगे तथा कठिनाईयों का निराकरण करते हुए तेजी से कार्य सुनिश्चित करेंगे।

b. जिला अंतर्गत Industrial Hub के लिए अभियान चलाकर जमीन का यथोचित चयन तथा सरकार द्वारा निर्धारित Timeline के अनुसार भू-अर्जन सहित अन्य सभी वांछित कार्रवाई ससमय सुनिश्चित किया जाए। भूमि अर्जन का प्रस्ताव राजस्व एवं भूमि सुधार को भेजने हेतु शीध्र कार्रवाई की जाए। जिला में औद्योगिक ईकाईयों के अधिष्ठापन तथा पूर्व से चल रहे ईकाईयों को हो रही कठिनाईयों का यथाशीघ्र निस्तार किया जाए।

c. भू-अर्जन से संबंधित हितबद्ध रैयतों को मुआवजा राशि भुगतान के संदर्भ में काफी शिकायतें प्राप्त होती रहती है। कई मामलों में देखा गया है कि विगत वर्षों में हुए भू-अर्जन की कार्रवाई में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के स्तर से हितबद्ध रैयतों के खाता/खेसरा/रकवा का निर्धारण करने के बजाय खतियानी/जमाबंदी रैयतों एवं उनके वंशजों के नाम से सम्मिलित पंचाट निर्गत किया जाता है जो उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त हितबद्ध रैयतों को पंचाट निर्गत होने के बावजूद वैध कागजात/पारिवारिक विवाद/न्यायालय में वाद तथा बिना कारण के भी मुआवजा का भुगतान वर्षों तक लंबित देखा गया है। तथा विगत वर्षों में भू-अर्जन के प्राप्त राशि बैंक खातें में रहने की सूचना प्रतिवेदित है जो उचित स्थिति नहीं है। इस संबंध में समीक्षा में यह पाया गया कि यथा निदेशित 3 माह से अधिक लंबित मुआवजा भुगतान की पंचाट/रैयत वार विवरणी बैठक में उपस्थापित नहीं किया गया, जो खेदजनक स्थिति है। इस संबंध में सभी समाहर्त्ता को आदेश दिया जाता है कि स्वयं समीक्षा करते हुए निम्नांकित विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराया जाय।

प्रपत्र-I

क्र0सं0	परियोजना का नाम	Award निर्गत की तिथि	कुल निर्गत पंचाट की संख्या	कितने रैयतों को भुगतान हुआ।	कुल लंबित भुगतान के मामले की संख्या	पंचाट निर्गत होने के 3 माह के उपरांत लंबित भुगतान के मामले की संख्या	अभ्युक्ति

प्रपत्र-II

क्र0सं0	परियोजना का नाम	Award निर्गत की तिथि	कुल निर्गत पंचाट	3 माह के अधिक लंबित पंचाटी रैयत का नाम	पंचाट की राशि	भुगतान नहीं होने का कारण।

यह स्पष्ट किया जाता है कि एक माह में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर संबंधित भू-अर्जन पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव सरकार को भेजा जायेगा। चूँकि यह आम जनता से जुड़ा मामला है तथा हितबद्ध रैयतों को लंबी अवधि से भुगतान नहीं होने से सरकार

की छवि पर प्रभाव पड़ता है। अतः संबंधित प्राधिकार भू-अर्जन से संबंधित कार्रवाई हेतु निर्गत प्रावधानों एवं विभागीय नियमों के आलोक में एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह/-
आयुक्त
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक .... पूर्णिया, दिनांक ....

प्रतिलिपि :- जिला भू-अर्जन पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया/अररिया/कटिहार/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- समाहर्त्ता, पूर्णिया, कटिहार, अररिया एवं किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह/-
आयुक्त
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक 2116 पूर्णिया, दिनांक 18.04.2026

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :- विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

18/4/2026.
आयुक्त
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।